निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 211 / 2017 दिनांक : 15.07.2021

अनवान

गमेरी बाई पुत्री किशोर जाति जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर

.... **वादीगण**

।। बनाम ।।

1. उदयलाल पिता किशोर जी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
2. मांगीलाल पिता पिता किशोर जी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
3. तुलसीबाई पुत्री किशोर जी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
4. प्रतापी पुत्री किशोर जी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
5. कालू पिता हिरा जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
6. उदी पुत्री हिरा जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
7. केसर पत्नि हिरा जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
8. शंकर पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
9. पारस पिता छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
10. देउ पत्नि छोगा जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
11. शंकर पिता हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
12. मथरालाल पिता हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
13. गट्टू पत्नि हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी केरिंगखेडा तहसील भदेसर
14. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

.... **प्रतिवादीगण**

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 209 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. वादिया का एक संयुक्त अविभक्त परिवार ग्राम केरिंगखेडा तहसील भदेसर में निवास करता चला आ रहा है। वादिया का पारिवारिक संजरा निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

मूल पुरूष किशोर के छः संतान हुई जो कि उदयलाल पिता किशोर प्रतिवादी सं. 01,मांगीलाल पिता किशोर प्रतिवादी सं. 02, भगवानलाल पिता किशोर फौत,तुलसीबाई पुत्री किशोर प्रतिवादी सं. 03,प्रतापी पुत्री किशोर प्रतिवादी सं. 04 एवं गमेरी बाई पुत्री किशोर वादिया स्वयं। भगवान लाल पिता किशोर का पुत्र दीपक भी नाबालिग फौत हो चुका है।

2. यह कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजीयात जो कि निम्नानुसार हैः–

1. परिशिष्ठ अ – मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां तहसील भदेसर की खाता सं0 09 पर दर्ज आराजी नं0 635 रकबा 0.05 हैक्टैयर, आराजी नं0 643 रकबा 0.92 हैक्टैयर, आराजी नं0 743 रकबा 0.02 हैक्टैयर, आराजी नं0 745 रकबा 0.25, आराजी नं0 760 रकबा 0.09 हैक्टैयर, आराजी नं0 761 रकबा 0.04 हैक्टैयर, आराजी नं0 762 रकबा 1.51 हैक्टैयर, आराजी नं0 763 रकबा 0.02 हैक्टैयर, आराजी नं0 764 रकबा 1.49 हैक्टैयर, आराजी नं0 777 रकबा 0.67 हैक्टैयर किता 10 कुल रकबा 5.09 हैक्टैयर
2. परिशिष्ठ ब – मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां तहसील भदेसर की खाता सं0 10 पर दर्ज आराजी नं0 634 रकबा 0.05 हैक्टैयर, आराजी नं0 637 रकबा 0.13 हैक्टैयर, आराजी नं0 739 रकबा 0.75 हैक्टैयर, आराजी नं0 740 रकबा 0.23 हैक्टैयर, आराजी नं0 741 रकबा 0.58 हैक्टैयर, आराजी नं0 742 रकबा 0.01 हैक्टैयर, आराजी नं0 744 रकबा 0.36 हैक्टैयर किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर
3. परिशिष्ठ स – मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां तहसील भदेसर की खाता सं0 11 पर दर्ज आराजी नं0 738 रकबा 0.07 हैक्टैयर
4. परिशिष्ठ द – मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील भदेसर की खाता सं0 18 पर दर्ज आराजी नं0 612 रकबा 0.80 हैक्टैयर, आराजी नं0 613 रकबा 0.43 हैक्टैयर, आराजी नं0 614 रकबा 0.45 हैक्टैयर किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी 2073 से 2076 एवं नक्शा ट्रेस सलंग्न है।

3. वादिया के पिता किशोर पिता [illegible] की मृत्यु सन 1979 में हुई। किशोर की [illegible] पंचायत एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा किशोर जी के तीनो पुत्रो क्रमशः उदयलाल,मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

एवं भगवानलाल के नाम नामांतरण पारित कर दिया जबकि किशोर जी के तीन जायंदा पुत्रिया होकर मौजूद है।

4. वाद पत्र की कलम सं0 2 के परिशिष्ठ अ में वर्णित कृषि आराजीयात में वादिया के पिता का 1/2 हक हिस्सा एवं परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजीयात में वादिया के पिता का सम्पूर्ण हक हिस्सा एवं परिशिष्ठ स में वादिया के पिता का 1/4 हक हिस्सा निहित है एवं परिशिष्ठ द में वादिया के पिता का 1/2 हक हिस्सा निहित है। किशोर जी की वैधानिक पुत्री होकर अपने पिता के हक हिस्से वाली आराजीयात में उसका भी जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो जाता है इस प्रकार अपने पिता के नाम की चारों खातो वाली कृषि आराजीयात में उनके हक हिस्से में से 1/5 हक हिस्सा वादिया का निहित होने से वादिया तीनो खातो वाली आराजीयात में 1/5 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी होने से वाद पत्र पेश किया है।

5. वादिया के भाई भगवान लाल की मृत्यु हो जाने से उनके एक मात्र वारिसान दीपक के नाम खातेदारी में भगवानलाल का हक हिस्सा दर्ज हुआ लेकिन दीपक की नाबालिग अवस्था में मृत्यु हो जाने से उसके कोई वारिस नहीं है।

6. वादिया अपने पिता के हक हिस्से में से वादिया के बनने वाले हक हिस्से पर आज भी काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। मगर वादिया के भाईयों के मन में बदनियति आ जाने से राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम दर्ज नहीं होने से वादिया के कब्जे काश्त में आये दिन दखलंदाजी कर उपयोग उपभोग में व्यवधान पेदा करते है जिससे मौके पर उक्त आराजीयात का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग किये जाने की डिक्री पारित किये जाने हेतु वाद पत्र बाबत बंटवाडा पेश है।

7. राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 का नाम दर्ज होने से नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी सं. 01 व 02 वादग्रस्त आराजीयात को अन्य को विक्रय करने पर आमादा है यदि प्रतिवादी सं. 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रतिवादी सं. 01 व 02 उक्त भूमि को अन्य को ट्रांसफर कर देगें तो वादिया को अपार क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 02 के परिशिष्ठ अ,ब,स,द में वर्णित कृषि भूमि को किसीअ न्य को बेचान नहीं करे न ही किसी रहन बह बक्षीस करे ऐसा न तो स्वयं ... है किसी अन्य से करावे इस हेतु पाबंद फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अतः प्रार्थना है कि:–

(अ) पक्ष वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व 2 वाद पत्र की चरण सं0 02 में परिशिष्ठ अ,ब,स,द में वर्णित कृषि भूमि में वादिया को अपने पिता के हक हिस्से में से 1/5 हक हिस्सा वादिया की खातेदारी में घोषित किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे।

(ब) वाद खातेदारी घोषणा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर उक्त आराजीयात का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे।

(स) पक्ष वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं0 02 में परिशिष्ठ अ,ब,स,द में वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य को रहन बह बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील नहीं करे ना किसी अन्य से करावे एवं वादिया के उपयोग उपभोग व कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी मदाखलत न तो स्वयं करे ना किसी नौकर एजेंट के जरिये इस हेतु पक्ष वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व प्रतिवादी सं0 8 से 12 की ओर से वकील श्री छोगालाल जाट ने जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 व 13 की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम वाद पत्र से विलोपित किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होकर बिंदुवार तनकी कायम की गई जिसके बिंदु निम्नानुसार है :–

1.वाद पत्र की चरण सं0 में वर्णित परिशिष्ठ अ,ब,स,द में वर्णित कृषि आराजीयात वादिया की पैतृक पुश्तैनी है जो प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित है।

2. वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के परिशिष्ठ अ में वादिया के पिता का 1/2 हक हिस्सा, परिशिष्ठ ब में सम्पूर्ण हिस्सा,परिशिष्ठ स में 1/4 हिस्स[illegible]ष्ठ द में 1/2 हक हिस्सा होना प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड साबित होता है।

3. वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में वादिया किशोर पि[illegible] प्यारा की जायंदा संतान होने से अपने हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारिणी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

4. वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात वादिया की पुश्तैनी होने से प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 को पाबंद कराने की अधिकारिणी है।

5.वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादिया का मौके पर कब्जा नहीं होने से बंटवाडा की दाद खारिज की जाती है।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबन्दी मौजा चरलिया खाता संख्या 18 संवत् 2071–2074 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा सेगवा खाता संख्या 09 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–2
3. नकल जमाबन्दी मौजा सेगवा खाता संख्या 10 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबन्दी मौजा सेगवा खाता संख्या 11 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–4
5. नकल नामांतरण पंजिका ग्राम चरलिया तहसील भदेसर प्रदर्श–5
6. नकल जमाबन्दी मौजा सेगवा संवत् 2035–2038 प्रदर्श–6
7. नकल जमाबन्दी मौजा सेगवा संवत् 2035–2038 प्रदर्श–7
8. नकल जमाबन्दी मौजा सेगवा संवत् 2035–2038 प्रदर्श–8
9. नकल जमाबन्दी मौजा चरलिया संवत् 2035–2038 प्रदर्श–9
10. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा.दि. के तहत श्री उदयलाल पिता किशोर जाट निवासी केरिंगखेडा डी0डब्ल्यू0 1
11. शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा.दि. के तहत श्री [illegible]लाल पिता किशोर जाट निवासी केरिंगखेडा डी0डब्ल्यू0 2

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होंने [illegible] तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि प्रश्नगत आराजीयात परिशिष्ठ अ,ब,स,द में वादिया किशोर पिता रूपा जाट निवासी केरिंगखेडा की जायंदा संतान होकर वाद में वर्णित आराजीयात में अपने पिता के हक हिस्से मे अपना नाम राजस्व रेकार्ड में अपने हिस्से अनुसार घोषणा की अधिकारिणी है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

5. उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वदिया अंतिम डिक्री किया जाता है कि **परिशिष्ठ अ** – मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां तहसील भदेसर की

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

खाता सं0 09 पर दर्ज आराजी नं0 635 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नं0 643 रकबा 0.92 हैक्टैयर, आराजी नं0 743 रकबा 0.02 हैक्टैयर, आराजी नं0 745 रकबा 0.25, आराजी नं0 760 रकबा 0.09 हैक्टैयर, आराजी नं0 761 रकबा 0.04 हैक्टैयर, आराजी नं0 762 रकबा 1.51 हैक्टैयर, आराजी नं0 763 रकबा 0.02 हैक्टैयर, आराजी नं0 764 रकबा 1.49 हैक्टैयर, आराजी नं0 777 रकबा 0.67 हैक्टैयर किता 10 कुल रकबा 5.09 हैक्टैयर **परिशिष्ठ ब** – मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां तहसील भदेसर की खाता सं0 10 पर दर्ज आराजी नं0 634 रकबा 0.05 हैक्टैयर, आराजी नं0 637 रकबा 0.13 हैक्टैयर, आराजी नं0 739 रकबा 0.75 हैक्टैयर, आराजी नं0 740 रकबा 0.23 हैक्टैयर, आराजी नं0 741 रकबा 0.58 हैक्टैयर, आराजी नं0 742 रकबा 0.01 हैक्टैयर, आराजी नं0 744 रकबा 0.36 हैक्टैयर किता 7 कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर, **परिशिष्ठ स** –मौजा सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां तहसील भदेसर की खाता सं0 11 पर दर्ज आराजी नं0 738 रकबा 0.07 हैक्टैयर, **परिशिष्ठ द** – मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील भदेसर की खाता सं0 18 पर दर्ज आराजी नं0 612 रकबा 0.80 हैक्टैयर, आराजी नं0 613 रकबा 0.43 हैक्टैयर, आराजी नं0 614 रकबा 0.45 हैक्टैयर किता 3 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर स्थित है। परिशिष्ठ अ,ब,स,द में से वादिया के पिता किशोर पिता रूपा जाट के वारिसानो के दर्ज हक हिस्से में से वादिया को 1/5 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादिया द्वारा बंटवाडा नहीं चाहने से बंटवाडा की दाद खारिज की जाती है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात हक हिस्से अनुसार वादिया के खातेदारी में दर्ज होने तक आराजी के किसी भी भू भाग को रहन बय बक्षीस अथवा अन्तरण नहीं करें न करावें एवं वादिया के हक हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे ना करावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested